

# प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

## अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/124614/BGP/BAGHPAT/1063/CFO

दिनांक: 11-07-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MOUNT LITERA ZEE SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KH NO-281 MOUJA SHAHPUR BADOLI, DELHI SAHARANPUR ROAD, BARAUT** तहसील - **BARAUT** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	10.05 mt.
0	0	0	0 mt.
0	0	0	0 mt.

तथा प्लॉट एरिया **10781.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **MOUNT LITERA ZEE SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **16-07-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BIJENDRA KUMAR JAIN E-Mail ID : principal.baraut@mountlitera.com Mobile No. : 9416276909** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **17-07-2024** से **17-07-2027** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

**Note :** अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की स्थलीय भौतिक निरीक्षण आख्या के आधार पर यह प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है 1-एजेन्सी से भवनों में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के संचालन का परीक्षण एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण जनवरी एवं जुलाई माह में कराकर कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करें 2-प्रस्तुत मानचित्र में उल्लेखित भवन के अतिरिक्त निर्माण हेतु अलग से स्वीकृति ली जाये 3-ढाचागत सुरक्षा व्यवस्थाएँ तथा अन्य विधिक प्रावधान विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी /प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार ही रखा जाना वांछनीय होगा। कभी भी सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने पर भवन स्वामी स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(Amarendra Pratap Singh)

[644961A840390B91FBEA35454EA0E8AB57FB2D2F]

17-07-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-07-2024  
स्थान : BAGHPAT